न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 104 / 2017

1 भोमाराम पुत्र श्री शिवनाथ
2 प्रभूदयाल पुत्र शिवनाथ
3 मामराज पुत्र कालूराम
4 जगदीश पुत्र कालूराम
5 रामकुवार पुत्र कालूराम
6 श्योपाल पुत्र कालूराम
7 बालूराम पुत्र श्री चौथूराम

जति मालियान निवासीगण ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज्य राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2017 उनवानी
राज्य सरकार बनाम कालूराम वगैरहा मुकदमा नम्बर
96/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—29.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 96/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 489 रकबा 1.00 हैक्टेयर ग्राम काटलीपुरा में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिय काम आना बताकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय ने दिनांक 11.07.2017 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलांट के पिता की दिनांक 17.12.2016 को मृत्यु हो चुकी है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलांट के पिता की दिनांक 17.12.2016 को मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)